



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-115

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 325166 दिनांक 14/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Krishna Kumar Goyal S/o Battu Lal Goyal	ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अशोक खण्डेलवाल को	S42	11.11 SQ. YARD	Private	A R G PURAM	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की निजी खातेदारी योजना ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. के दुकान सं. एस-42 क्षेत्र. 11.11 वर्ग. की लीजडीड ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अशोक खण्डेलवाल को दिनांक 17.09.2014 को जारी की गई। ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. जरिये अधिकृत श्री कौशल गुप्ता पुत्र श्री टी.एस. गुप्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 10.05.2022 को उक्त दुकान का बेचान श्री प्रदीप डी. गुरनानी पुत्र श्री दौलत गुरनानी एवं नम्रता पी. गुरनानी पत्नी श्री प्रदीप डी. गुरनानी को किया गया। तत्पश्चात श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								प्रदीप डी. गुरनानी पुत्र श्री दौलत गुरनानी एवं नम्रता पी. गुरनानी पत्नी श्री प्रदीप डी. गुरनानी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त दुकान का बेचान दिनांक 04.10.2025 श्री कृष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री बत्तु लाल गोयल को किया गया। आवेदनकर्ता श्री कृष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री बत्तु लाल गोयल द्वारा उक्त दुकान का लीजडीड से फ्री-होल्ड पट्टा जारी किए जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Krishna Kumar Goyal S/o Battu Lal Goyal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004